प्रेस विज्ञप्ति

**उद्यम निधियों की सहायता के लिए सिडबी ने कमर कसी**

**मुम्बई 09 फरवरी, 2016**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने अगस्त 2015 में 2000 करोड़ रुपये की समूह निधि से इंडिया ऐस्पिरेशन फंड (आईएएफ) की स्थापना की थी। इस निध ने बहुत कम समय में 31 उद्यम पूँजी निधियों को 1126 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करने की संस्तुति अपनी उद्यम पूँजी निवेश समिति (वीसीआईसी) से की है। इनमें से 18 उद्यम पूँजी निधियों को 506 करोड़ रुपये की मंजूरी विधिवत सूचित की जा चुकी है।

अर्थव्यवस्था में स्टार्ट-अप्स की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि का लाभ लेने के उद्देश्य से आईएएफ के अंतर्गत परिचालन-प्रक्रिया, सिडबी की सहायता-प्राप्त उद्यम पूँजी निधियों की सूची तथा निवेश चरण वाली उद्यम पूँजियों के संपर्क संबंधी ब्यौरे अब सिडबी उद्यम निधि की वेबसाइट http:/venturefund.sidbi.in पर डाल दिए गए हैं। संचार-माध्यमों को इस प्रयास की जानकारी देते हुए सिडबी के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस ने कहा कि इस प्रयास से नवाकांक्षी स्टार्ट-अप्स को काफी सुभीता होने की आशा है। उन्होंने सभी एमएसएमई का आह्वान करते हुए कहा कि वे यथासंभव ईक्विटी सहायता सीधे प्राप्त करने के लिए इन निधियों से संपर्क करें।

पिछली सदी के आखिरी दशक की शुरुआत में सिडबी ने अनुभव किया कि निजी ईक्विटी के बुनियादी तौर पर बड़े उद्यमों की ओर उन्मुख होने के कारण एमएसएमई को मुख्य रूप से ईक्विटी की चुनौती का सामना करना पड़ता है। सिडबी ने उद्यम पूँजी निधियों में अंशदान को भी सर्वोत्तम मॉडल के रूप में चुना, क्योंकि निधि-प्रबन्धक सिडबी के अंशदान का उपयोग बड़ी मात्रा में निजी पूँजी जुटाने के लिए कर सकते थे। सिडबी 1995 से उद्यम पूँजी निधियों की समूह निधि में योगदान करता आ रहा है। अब तक सिडबी ने 88 उद्यम पूँजी निधियों को सहायता देते हुए कुल 2211 करोड़ रुपये की वचनबद्धता की है। अब उपर्युक्त समग्र वचनबद्धता में से हुए 950 करोड़ रुपये के आहरण के आधार पर इन उद्यम निधियों ने 612 उद्यमों में 9600 करोड़ रुपये की ईक्विटी सहायता का निवेश किया है। इसमें से 4339 करोड़ रुपये 531 एमएसएमई में निवेश किए गए।

जिन बीज/शुरुआती चरण की उद्यम निधियों को सिडबी ने सहायता दी है, उनमें से कुछ हैं- ब्लूम वेंचर्स, यौरनेस्ट ऐंजल फंड, इन्फ्यूज कैपिटल, इंडिया कोशेंट, इंडिया इनोवेशन फंड, वेंचरीस्ट टीनेट फंड, इंडिया साइंस वेंचर फंड ऑफ सीएसआईआर आदि। इसके अलावा सिडबी ने सामाजिक उद्यम निधियों जैसे- समृद्धि फंड और अंकुर कैपिटल आदि को भी सहायता दी है। इन उद्यम पूँजी निधियों ने जिन उद्यमों में निवेश किया है, उनमें से कुछ हैं- औजस नेटवर्क्स, वॉर्टेक्स, लिटल आई लैब्स, स्काईमेट, मित्रा बायोटेक आदि।

एमएसएमई में भी प्रत्यक्ष ईक्विटी निवेश की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए सिडबी ने काफी समय पहले 1999 में सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था –सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (सिडबी वेंचर)- की स्थापना की थी। इस निधि ने विविध क्षेत्रों के शुरुआती और विकास चरण वाले 90 से अधिक उद्यमों में निवेश किया है। वर्तमान में सिडबी वेंचर पाँच निधियों का प्रबन्धन कर रहा है, जिनकी सकल समूह निधि 1500 करोड़ रुपये है। सिडबी वेंचर कैपिटल से सहायता-प्राप्त कुछ सफल स्टार्ट-अप्स में बिल डेस्क, मंथन सिस्टम्स आदि शामिल हैं। सिडबी की भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009 में 2000 करोड़ रुपये की समूह निधि से सिडबी में एमएसएमई जोखिम पूँजी निधि की स्थापना की। इसमें पूरी राशि की वचनबद्धता की जा चुकी है।

निधियों की निधि परिचालनों के माध्यम से स्टार्ट-अप्स की सहायता जारी रखने के लिए अधिकाधिक पेशेवराना रवैया अपनाने और सभी हितधारकों के बीच इस निधि के परिचालनों को व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाने के उद्देश्य से सिडबी ने उद्यम पूँजी निवेश समिति गठित की है। इस समति में बाहरी विशेषज्ञों के साथ-साथ सिडबी के दो वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। यह समिति निधि-प्रबन्धकों से प्राप्त प्रस्तावों की जाँच करती है। निधि-प्रबन्धकों में सर्वश्री मोहनदास पै, सौरभ श्रीवास्तव, संजीव बीकचन्दानी, एच.के. मित्तल, प्रो. वैद्यनाथन और किरण कर्णिक शामिल हैं। आवश्यकतानुरूप निधियाँ जुटाने तथा वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में उद्यम पूँजी निधियों की मदद करने के उद्देश्य से सिडबी ने भारतीय जीवन बीमा निगम को इंडिया ऐस्पिरेशन फंड में साझेदार बनाया है, ताकि सहायता-प्राप्त निधियों की समूह निधि में वृद्धि की जा सके।

अपनी निधियों की निधि गतिविधियों के अंतर्गत परिचालन के स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से सिडबी विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है। इसका उद्देश्य उऩ राज्यों में स्थित स्टार्ट-अप्स की पहुँच का विस्तार करने के साथ-साथ, भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि की ओर से निधियों के प्रबंधन का अधिदेश प्राप्त करना भी है।

इस दिशा में किए गए प्रत्यक्ष प्रयासों में स्टार्ट-अप्स को उद्यम ऋण-प्रदायगी और विकास चरण वाले उद्यमों को जोखिम पूँजी-प्रदायगी, दोनों शामिल हैं। सिडबी स्टार्ट-अप्स और शुरूआती चरण वाले उद्यमों को प्रत्यक्ष रूप से उद्यम ऋण सहायता प्रदान करता है। जिन इकाइयों ने उद्यम निधियों से ईक्विटी सहायता प्राप्त की है, उन्हें वरीयता दी जाती है, जबकि अन्य प्रस्तावों पर नैसकॉम/आईस्प्रिट आदि से मदद लेकर चुनिंदा आधार पर कार्रवाई की जाती है। सफलतापूर्वक सहायता-प्राप्त कुछ इकाइयों में इंकफ्रूट डॉट कॉम, टॉपडॉक्टर्सऑनलाइन डॉट कॉम, वेदर रिस्क मैनेजमेंट (प्रा.)लि. आदि शामिल हैं।

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि सिडबी लगातार अपना ही आत्मान्वेषण और अभिमुखीकरण करता रहा है, ताकि एमएसएमई क्षेत्र की वैविध्यपूर्ण ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। वर्तमान राष्ट्रीय एजेंडा से कदमताल करते हुए, सिडबी अपनी निधियों की निधि-परिचालनों के माध्यम से स्टार्ट-अप्स को ऋण-प्रदायगी में अपनी भूमिका को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि सिडबी अपना विशिष्ट चरित्र कायम रखे हुए है और बैंकिंग क्षेत्र से सीधे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उसके प्रयासों की परिपूर्ति और अनुपूर्ति करना जारी रखेगा। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सिडबी द्वारा निभाई जा रही प्रमुख भूमिका को देखते हुए, भारत सरकार ने स्टार्ट-अप्स और स्टैंड अप संबंधी अपनी घोषणाओं में सिडबी के लिए एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की है।

---0---